

फर्द अहकाम

राजपूत

बनाम भगवानुपधय

नाम न्यायालय : सहायक कलेक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 124/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	7/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पेश शुदा की तबली जारी होकर पत्रावली दिनांक 19/11/24 को पेश हो
	19/11/24	<p>पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। मूल वादपत्र में अप्रार्थी सं. 1 लगे की लागत तामील मानी जाकर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है अतः इस प्रार्थना पत्र में भी अप्रार्थी सं. 1 लगे के बिना एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र अल्ल्यादी निषेधाज्ञा पर एक पक्षीय वदत सुनी गई।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड्स में अवलोकन करने एवं प्रार्थी अधिवक्ता की वदत पर मनन करने के उपरान्त अप्रार्थीगण की जरूरत अल्ल्यादी निषेधाज्ञा से पावक किया जाता है कि अप्रार्थीगण विवादित मारगी खसरा नं. 87 खकवा 1.3783 हेक्टर छिन्न प्राप्त पीपलाबाई ज-ह खसला वद कस्ती के जयपुर परखलवाद के अंतिम निस्तारण तक विवादित खसरा पर मोठी एवं रिकार्ड की प्रयासिदि बनाये रखें।</p> <p>पत्रावली कैसल पुमार होकर वाद तामील दाखिल दफ्तर होकर मंजूर हो कर हो</p>

सहायक कलेक्टर

बस्सी जिला - जयपुर ग्रामीण